संख्या–4139/आठ–1–07–13 बजट/05 टीसी

प्रेषक,

श्री शंकर अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

3. आवास आयुक्त
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

4. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 27 दिसम्बर, 2007

विषय : उ.प्र. आवास एंव विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा आवास निर्माण न करके भूखण्ड विकास को प्राथमिकता देने तथा भूखण्ड आवंटन से पूर्व सभी आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं का विकास करने, सुविधाजनक दुकानों (कन्वीनियन्ट शापिंग) की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों एवं प्राइवेट बिल्डर्स के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरोन्त शासनादेश संख्या–सीएम–249/आठ– 1–06–13 बजट/05 टीसी, दिनांक 06 अक्टूबर, 2006 को निम्न सीमा तक संशोधित करते हुए निम्नवत् व्यवस्था निर्धारित की जाती है :–

(1) उ.प्र. आवास विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा योजनाओं का पूर्ण विकास करके ही भूखण्डों का आवंटन कार्य किया जाना व्यवहारिक नहीं है। अतः अधिग्रहीत भूमि पर कब्जा प्राप्त होने एवं ले–आउट प्लान स्वीकृत होने पर उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरण भूखण्डों का आवंटन नियमानुसार कर सकेंगे।

(2) उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरण में काफी बड़ी संख्या में प्रशिक्षित एवं अनुभवी तकनीकी स्टाफ उपलब्ध हैं, ऐसी दशा में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के अतिरिक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरण, दुर्बल आय वर्ग के व्यक्तियों को भवन/भूखण्ड उनकी मॉग के अनुरूप निर्मित किये जाऍ साथ ही मध्यम श्रेणी एवं उच्च श्रेणी के आवासों के निर्माण का कार्य भी स्ववित्त पोषित योजनाओं के तहत किया जाय। इन योजनाओं (एम.आई.जी. एवं एच.आई.जी.) के लिए वे ऋण नहीं प्राप्त करेंगे।

(3) उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरण कार्यालय भवन/आवासीय भवन/कालोनियों के विकास कार्य सरकारी और अर्द्ध सरकारी विभागों एवं अन्य संस्थाओं के लिए एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिये स्वतंत्र होंगे।

(4) उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरण द्वारा मांग का निर्धारण करके अपनी कालोनियों में दुकानों एवं सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण सुनिश्चित किया जाये अथवा पब्लिक प्राइवेट पार्टीसिपेशन के आधार पर उनका निर्माण किया जाये।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

शंकर अग्रवाल
प्रमुख सचित।

संख्या–4139/आठ–1–07, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश।
2. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
6. नियंत्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
7. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ, लखनऊ।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभग उ. प्र.।
9. सहायक निदेशक, सिस्टम, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की बेवसाइट पर लोड करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राम निरंजन
अनु सचिव।